सेवा में

Sh. D.K. Singh

Executive Director (NR-I),

First Appellate Authority,

Power Grid Corporation of India Ltd., NR-IHQ, SCO Bay No. 5-10, Sector 16A, Faridabad (Haryana)-121002, Phone No. 0129-2666301

विषयः– **जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना लेने और अपील करने बारे।**

श्रीमान जी,

प्रार्थी निम्नखित प्रार्थना करता है प्रार्थी ने एक दरखास्त बाबत दिए जाने निम्नलिखित सूचना, राज्य जनसूचना अधिकारी Sh. H.K. Mallick, Executive Director (NR-I), Power Grid Corporation of India, Limited, Northern Region-I, Headquarters, B-9, Qutab Institutional Aea, Katwaria Sarai, New Delhi-110016 को दिनांक 19.11.2019 को दी थीः–

1. यह कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यमुनानगर से मटोर की वर्ष 2004–05, उससे पहले या बाद मे हाई वोल्टेज विद्युत पारेषण लाईन बिछाई गई थी, उस लाईन का सर्वे किस वर्ष की कौन सी तिथि से शुरू किया गया, सर्वे करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम, पद सहित विवरण प्रदान करे।
2. यह कि हाई वोल्टेज विद्युत पारेषण लाईन रास्ते में आने वाली जमीन मे लगे हूए बाग के ऊपर से बिछाई जा सकती है या उसे बचाया जा सकता है, और अगर उसके ऊपर से लगाई जाएगी तो कितने बडे वृक्षो के ऊपर से लाई डाली जा सकती है। सम्पूर्ण सत्यापित जानकारी प्रदान की जाए।
3. यह कि श्री डी0 पी0 एस0 यादव, मैनेजर (टी0 एल0) कम जन सूचना अधिकारी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0, 400 के0 वी0 सब स्टेशन, बी बी एम बी, कॉम्पलैक्स, सिवाह, पानीपत (हरियाणा) हाल 400 के0 वी0 सब स्टेशन, गांव

मटोर, पोस्ट दोराला, मेरठ, उत्तर प्रदेश, के पत्र कमांक नम्बर NI/PNP/TLC/04-05/739A dated 05/05/2015 के बिन्दू नम्बर 2 मे आप द्वारा सतवीर सिंह पुत्र हरी सिंह के आम के बगीचे बाबत संबंधित माननीय न्यायालय, पानीपत मे मामला/केस विचाराधीन है, उक्त केस की एक प्रति प्रदान की जाए।

4. यह कि आपके उपरोक्त पत्र के बिन्दू नम्बर 3 मे श्री हरी सिंह को पूर्व मे फाउंडेशन कार्य के दौरान रू0 8935/– के मुआवजा देने की बात कही है, उक्त मुआवजा बाबत रसीद/स्वीकृति पत्र की सत्यापित प्रति प्रदान की जाए।
5. यह कि आपके उपरोक्त पत्र के बिन्दू नम्बर 4 मे कहा गया है कि माह फरवरी 2005 मे टावर निर्माण के दौरान सफेद मूसली एवं लहसुन की जितनी फसल नष्ट हुई, उसके मूल्यांकन बागवानी विभाग से करवाया जा रहा है। परन्तु इस मामले को 13 वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी अभी तक ना तो कोई मूल्यांकन लगाया गया है, उसकी भी सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए।
6. यह कि उपरोक्त पत्र के बिन्दू नम्बर 5 मे कहा गया है कि मार्च 2005 मे तार खिंचने के दौरान कोई भी फसल मौके पर मोजूद नही थी, जोकि मौके पर पुलिस विभाग द्वारा निरीक्षण करना बताया गया है। मौका मुआयना/निरीक्षण रिपोर्ट की सत्यापित प्रति प्रदान की जाए।
7. यह कि उपरोक्त हाई वोल्टेज विद्युत पारेषण के समय जिस भूमि में नुकसान हुआ है, वह जमीन पुश्तैनी जमीन होन के नाते प्रार्थी बलबीर पुत्र श्री हरी सिंह के नाम रिकार्ड/फर्द मे दर्ज हो चुकी है, इसलिए प्रार्थी अपनी इस जमीन या इससे संबंधित हर तरह की क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी जानकारी, जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत या कार्यवाही करने के लिए अधिकारमय है।
8. यह कि उपरोक्त मामले मे लगाए गए टावर टू टावर की दूरी के रिंकार्ड और मौजूदा स्थिति पर टावर टू टावर की दूरी बारे सम्पूर्ण सत्यापित जानकारी प्रदान की जाए।

यह कि जन सूचना अधिकारी ने प्रार्थी की उपरोक्त दरखास्त दिनांक 19.11.2019 के जवाब मे पत्र Ref: Powergrid/NR-I/RTI/1820/5983 दिनांक 03/07.01.2020 दिया

जिसमे बिन्दू अनुसार जवाब तो दिया गया लेकिन आधी अधूरी जानकारी दी गई और बिन्दूवाईज ''लाईन बहुत पुरानी है और जानकारी दे पाना सम्भव नही है'' कहकर जवाब को टालने की कोशिश की गई है और संतोषजनक जवाब नही दिया गया है और अब 30 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी प्रार्थी को उपरोक्त सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध ना कराई गई हैं, अतः प्रार्थी निम्नलिखित प्रार्थना करता है:—

1. यह कि प्रार्थी को उपरोक्त सत्यापित दस्तावेज और जानकारी प्रदान की जाए और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ उचित विभागीय कार्यवाही की जाए।
2. यह कि उपरोक्त सभी जानकारी स्पीड पोस्ट प्राप्त करना चाहता हैं।
3. यह कि यदि मांगी गई जानकारी पर निर्धारित फीस से ज्यादा खर्च आता है तो प्रार्थी उस खर्च को वहन करने के लिए तैयार है।

उपरोक्त जानकारी हेतू प्रार्थी जनसूचना अधिकार अधिनियम में निर्धारित फीस 10/— रू0 का भारतीय पोस्टल ऑर्डर न0 46F 187342 dated 18-10-2018 साथ का पहले ही भुगतान कर चुका है।

दिनांक: 24.01.2020

प्रार्थी

संलग्न पत्र सूचना का जवाब

बलबीर सिंह पुत्र श्री हरि सिंह
निवासी गांव जौरासी खास,
तहसील समालखा जिला पानीपत

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CIN No. L40101DL1989GOI038121

पावरग्रिड POWERGRID

उत्तरी क्षेत्र-I, मुख्यालय, एस. सी. ओ.. बे. स. 5-10, सेक्टर 16-ए , फरीदाबाद121002-( हरियाणा)

Northern Region-1 Headquarters, Bay No. SCO - 5-10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002 Phone No.0129-2666303

**Ref:POWERGRID/NR-I/RTI/1820/** 5983 **Dt .03.01.2020** 07

सेवा में,

बलवीर सिंह पुत्र श्री हरि सिंह
निवासी ग्राम-जौरासी खास, तहसील-समालखा
जिला-पानीपत

**विषय** :आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 19.11.2019 के संदर्भ में |

आपके आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 19.11.2019 जो कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 25.11.2019 को प्राप्त हुआ के संदर्भ में आपको निम्न बिंदुवार सूचित किया जाता है:

1. आपको यह बताना उचित होगा कि यमुनानगर से मटोर पावरग्रिड कि कोई भी पावरग्रिड कि लाइन नही है । पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड द्वारा दादरी-पानीपत लाइन 2-वर्ष 2004 - 05 में बिछायी गई थी । यह लाईन बहुत पुरानी है, इसका सर्वे 2002 में शुरू किया गया था । सर्वे करने वाले अधिकारी का नाम आर. टी. आई अधिनियम के नियम 8(1) (g) & (j) के तहत नही दे सकते ।

2. नई विधुत पारेषण लाइन बनाते समय बाग-बगीचों को बचाने की कोशिश की जाती है परन्तु अगर कोई दूसरा रास्ता उपलब्ध नहीं है तो उस अवस्था में वृक्ष के ऊपर से लाइन निकली जा सकती है ।

3. यह लाईन बहुत पुरानी है आज कि तारिख में इस तरह कि जानकारी दे पाना सम्भव नही है, आपको यह भी सुचित किया जाता है कि आज कि तारिख में पावरग्रिड का इस तरह कि कोई भी केस किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है ।

4. कार्य बहुत पुराना है उस समय फाउंडेशन कार्य के लिए मुवावजे का भुगतान क्रॉस चेक द्वारा किया जाता/गया था जो की केवल सम्बंधित व्यक्ति के खाते में ही जाता है । रसीद उपलब्ध नही है ।

5. आज कि तारिख में इस तरह की जानकारी दे पाना सम्भव नही है क्योंकि मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत एवं गोपनीयता के दायरे में आती है ।

6. लाइन बहुत पुरानी है आज कि तारिख में इस तरह की जानकारी दे पाना सम्भव नही है ।

7. कोई टिपण्णी नहीं ।

8. लाइन के टावर नंबर 285 से 286 के बीच की दूरी 396 मीटर तथा 286 से 287 के बीच की दूरी 320 मीटर है ।

9. अपीलीय प्राधिकारी का विवरण :Shri D.K.Singh, Executive Director(NR-I), First Appellate Authority, Power Grid Corporation of India Ltd., NR-IHQ, SCO Bay No.5-10, Sector-16A, Faridabad (Haryana)-121002, Phone No.0129-2666301

कृप्या इसकी पावती भेंजे |
धन्यवाद |

भवदीय

[आर. नागपाल]
मुख्य महाप्रबंधक (पी.ई.एस.एम)
एवं अधिकृत सी पी आई ओ, पावरग्रिड, उ. क्षे. -1

To,

Sh. D.K. Singh
Executive Director (HR-I)
Power Grid Corporation of India Ltd, NR-I HQ, SCO Bay No-5-10,
Sector 16-A, Faridabad (Haryana) - 121002 Phone No. 0129-2666301

EMS SPEED POST
EH797312127IN

पावरग्रिड/POWERGRID
उ.क्षे.-1/NR-1
5513
28 JAN 2020
प्राप्ति किया/RECEIVED
फरीदाबाद/FARIDABAD

Balbir Singh S/o Sh. Hari Singh
V & P.O. Jawasi Khas
Teh. Samalkha
Distt - Panipat
HR

भारतीय डाक
India Post

From:SAMALKHA S.O <132101>
From:Karnal NSH Hub
To: Hub
Del PO:Gurgaon HO<122001>
EK797312127IN
Counter No:2,24/01/2020,14:29

---

Amt:41.30(Cash)Wt:25gms

---

From:SAMALKHA S.O <132101>
From:Karnal NSH Hub